—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट बाबत घोषणा

–: उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री शैलेन्द्र बिश्नोई — प्रार्थी

2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा — अप्रार्थी

–: निर्णय :–

दिनांक :– 11/05/2025

प्रार्थी ने अप्रार्थी के विरूद्व यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है, कि– यह कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी का पंजीकृत एवं प्रमाणित पता वही है जो प्रार्थना पत्र के शीर्षक में अंकित है। यह कि प्रार्थी के नाम मु. खाता में कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 9 एल. के. एस – बी के खाता सं. 67/56 के प.न. 2/286 (26), प.नं. 3/286 (25) की कुल तादादी 3.808 हैक. नहरी मय खातेदारी दर्ज रिकार्ड वाके है। जिसमें प्रार्थी का 1/16 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसमे प्रार्थी नाम सुभम दर्ज है। चित्रप्रति जमाबंदी सलंग्न वाद पत्र है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित कृषि भूमि की जमाबंदी में प्रार्थी का नाम सहवन से सुभम पुत्र सत्यपाल दर्ज है। जबकि प्रार्थी का सही नाम शुभम ही है। प्रार्थी के पहचान पत्र, मतदाता सूची, आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पास बुक आदि में प्रार्थी का नाम शुभम दर्ज है जो सही व सत्य है।

यह कि प्रार्थी का नाम प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित कृषि भूमि में सुभम दर्ज होने के कारण के.सी.सी. लेने, कृषि भूमि में ट्युबवैल पर विद्युत कनैक्शन लेने आदि अन्य सुविधांए लेने में काफी परेशानी होती है। इसलिये प्रार्थी अपना नाम सुभम के स्थान पर शुभम दर्ज करवाने का हकदार है।

यह कि अप्रार्थी जो कि भू धारक है तथा उक्त रिकार्ड की दुरूस्ती अप्रार्थी द्वारा ही की जानी है इस कारण पक्षकार बनाया गया है। यह कि प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है जो उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि तहसील पीलीबंगा के चक 9 एल. के. एस बी के खाता सं. 67/56 के प.न. 2/286 (26), प.नं. 3/286 (25) की कुल तादादी 3.808 हैक. नहरी मय खातेदारी में प्रार्थी का 1/16 हिस्सा दर्ज भूमि मे प्रार्थी का नाम सुभम के स्थान पर शुभम दर्ज करने के आदेश फरमाये जावे।

प्रकरण में तहसीलदार पीलीबंगा से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गई है मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार –चक 9 एलकेएस के खाता संख्या 67 में 3.808 हे. कुल रकबे में से सुभम पुत्र सत्यपाल का 1/16 हि. कोम बिश्नोई सा. लखासर दर्ज रिकॉर्ड है, उक्त भूमि प्रार्थी को इ.नं.

उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रेट पीलीबंगा

280 वसीयत नामा. द्वारा प्राप्त हुई है जिसमें प्रार्थी का नाम सुभम पुत्र सत्यपाल जाति बिश्नोई सा. लखासर दर्ज हुआ था। मुताबिक पटवारी रिपोर्ट वसीयत दस्तावेज में भी खातेदार का नाम सुभम पुत्र सत्यपाल दर्ज है जबकी प्रार्थी के अन्य दस्तावेजों में आधार कार्ड– जाति प्रमाण पत्र, माध्यमिक शिक्षा 2020 की अंकतालिका में शुभम पुत्र सत्यपाल दर्ज है, उक्त खाते पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन या विवाद आदि नही है।

आदेश

बहस अधिवक्ता सुनी गई। बहस में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार वाद पत्र स्वीकार करने हेतु निवदेन किया गया। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन किया गया। प्रार्थना पत्र तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार कर चक 9 एल. के. एस बी के खाता सं. 67/56 के प.न. 2/286 (26), प.नं. 3/286 (25) की कुल तादादी 3.808 हैक्. नहरी मय खातेदारी में प्रार्थी का 1/16 हिस्सा दर्ज भूमि मे प्रार्थी का नाम सुभम के स्थान पर शुभम दर्ज करने के आदेश पारित किया जाता है शेष खाता यथावत रहेगा।

तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 11/05/2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा (हनुमानगढ़)